

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Contempt Petition No. 1032/2019

Amar Singh S/o Shri Gulab Singh, Aged About 56 Years,
Havaladar/driver No.-811130621, 79Th Bn. Crpf, Cast Ahir, R/o
Village Bhagwari Kalan, Post-Guwana, Tehsil-Behrod, District
Alwar (Raj.)

----Petitioner

Versus

1. Shri Rajiv Gauba I.a.s. Secretary, Union Of India Ministry
Of Home Affairs, New Delhi-01.
2. Shri Pankaj Kumar, I.g. M.p. Sector Crpf Bangrasia Bhopal
(M.p.) 462045
3. Shri Brijesh Singh Commandnat- 79 Bn. Crpf, At Location
Through D.g. Crpf Cgo Complex Lodhi Road -03.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Mina Ram Yadav
For Respondent(s)	:	Mr. Sumit Bishnoi, Dy. S.G.I. with Mr. Lalit Bhardwaj

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

18/02/2026

विद्वान अधिवक्ता याची द्वारा S.B. Civil Writs No. 7141/2002 में पारित आदेश दिनांक 21.02.2019 जिसके माध्यम से याचिकाकर्ता को समस्त आर्थिक व पारिणामिक लाभ प्रदान किए जाए, के आदेश पारित किए गए थे के संदर्भ में यह अवमानना याचिका प्रस्तुत की गई है।

इस संदर्भ में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उन्हें एच.आर.ए. तथा अन्य भत्ते अभी तक प्रदत्त नहीं किए गए हैं तथा अन्य सभी आर्थिक लाभ प्रदत्त किये जा चुके हैं। उनका यह भी तर्क है कि उन्हें उक्त आदेश के परिणामस्वरूप अभी तक कोई प्रमोशन भी नहीं दिया गया है,

अतः ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थागण के विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही निरंतरता में जारी रखी जाए।

इस संदर्भ में विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्था का तर्क है कि उनके द्वारा याची को देय सभी आर्थिक लाभ व पारिणामिक लाभ अदा किए जा चुके हैं यदि याचिकाकर्ता के एच.आर.ए. की राशि व अन्य भत्ते की राशि के संदर्भ में कोई विवाद है तो वे इस संदर्भ में संबंधित विभाग के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को स्वतंत्र है। प्रत्यर्थागण द्वारा न्यायालय के आदेश की पूर्ण रूप से पालना की जा चुकी है और यह इस प्रकार का प्रकरण नहीं है जिसमें प्रत्यर्थागण ने जानबूझकर न्यायालय के आदेश की अवमानना की हो।

उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण में न्यायालय के आदेश में इस प्रकार का कोई स्पष्ट आदेश नहीं था कि याचिकाकर्ता को पुनर्स्थापित करने के उपरांत उसे प्रमोशन भी दिए जाएंगे। यदि याचिकाकर्ता प्रमोशन से वंचित हुआ है तो उससे भी एक नया वाद कारण उत्पन्न होता है तथा याचिकाकर्ता उसके लिए संबंधित मंच के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने को स्वतंत्र है।

इस संदर्भ में प्रत्यर्था अधिवक्ता द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय 1996 Supreme(SC) 1433, जे.एस. परिहार बनाम गनपत दुग्गर व अन्य प्रस्तुत किया गया है। जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि यदि वरिष्ठता सूची गलत है या सही नहीं है और न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप नहीं है, तब ऐसी स्थिति में नया वाद कारण उत्पन्न होता है। व्यथित पक्षकार न्यायिक मंच के समक्ष इस संदर्भ में अपनी याचिका प्रस्तुत करने को स्वतंत्र है और इस प्रकार के आदेशों में यह नहीं माना जा सकता है कि आदेशों की जानबूझकर संबंधित विभाग द्वारा अवमानना की गई हो। अतः उपरोक्त परस्थितियों तथा न्यायिक दृष्टांत को दृष्टिगत रखते हुए उक्त अवमानना की याचिका निरस्त की जाए।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश के माध्यम से प्रत्यर्थागण को यह निर्देशित किया गया था कि वे याचिकाकर्ता को पुनः नौकरी में लेते हुए समस्त पारिणामिक लाभ व आर्थिक लाभ प्रदत्त करें और इस संदर्भ में यह स्थिति

प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेज से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को उपरोक्त आदेश की पालना में आर्थिक लाभ प्रदत्त किए गए हैं। यदि याचिकाकर्ता एच.आर.ए. व अन्य भत्तों के संदर्भ में तथा प्रमोशन न मिलने से व्यथित है तो वह इसके लिए संबंधित विभाग के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम मंच के समक्ष कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। प्रकरण में इस प्रकार के तथ्य नहीं हैं जिससे यह प्रकट होता हो कि प्रत्यर्थीगण ने जानबूझकर आदेश की पालना नहीं की गई हो।

अतः ऐसी स्थिति में उक्त अवमानना याचिका को निरंतरता में चालू रखना उचित नहीं है। उक्त अवमानना याचिका निस्तारित की जाती है एवं प्रकरण से संबंधित प्रार्थना पत्र, यदि कोई लंबित हों, उक्त याचिका के साथ निस्तारित किए जाते हैं।

(PRAVEER BHATNAGAR),J